



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 483271 NOV 2011 B 483271

[11]

लाख रुपये प्रति हैक्टेयर निर्धारित है जिसके अनुसार विकीत भूमि

भूमिधारी की कीमत अंकन 1,01,53,000/- रुपये होती है

विधानानुसार स्टाम्प शुल्क चुकता किया जा रहा है।

8. प्रथम पक्ष विक्रेत्रीगण एवं द्वितीय पक्ष क्रेता कम्पनी अनुसूचित

जाति व अनुसूचित जनजाति के सदस्य नहीं है।

